न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

प्रकरण संख्या 15/2021

श्री सत्यनारायण चौधरी पुत्र गजानन्द जाट निवासी ग्राम चतुर्भजपुरा तहसील निवाई जिला टोक राज. ——अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी निवाई, टोंक ——प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय **दिनांक 22—7—2021**

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी निवाई को ऑन लाइन आवेदन पत्र दिनांक 20—09—2020 प्रेषित/प्रस्तुत कर अपीलाण्ट द्वारा निम्न वर्णित सूचना चाही गई थी :—

Kindly provide me a copy of the file related to the hearing process and recorded comments made in case number 21/01, year 2001 Ram Gopal Vs Ramjeevan in the SDO Court Newai.

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में पूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई एंव दर्ज रजिस्टर की गई तथा अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपील प्रा0पत्र की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी निवाई को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी उपस्थित नही हुए। लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी निवाई द्वारा पत्र कमांक सू. अ./2021/ 9065 दिनांक 12—7—2021 से जवाब प्रेषित किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही जा रही सुचना कार्यालय सहायक कलेक्टर (फस्ट ट्रेक) निवाई से संबंधित होने से इस कार्यालय के पत्रांक सू.अ./2021/ 2094 दिनांक 19.05.2021 से कार्यालय सहायक कलेक्टर (फस्ट ट्रेक) निवाई को प्रेषित किया गया। जिसकी पालना में कार्यालय सहायक कलेक्टर (फस्ट ट्रेक) निवाई द्वारा पंत्राक आरटीआई/2021/554 दिनांक 7.06.2021 द्वारा अपीलार्थी को सूचना भिजवा दी गयी है जिसकी छाया प्रति जवाब के साथ संलग्न की गई है। जिससे स्पष्ट है कि आवेदक को वांछित सूचना उपलब्ध करवा दी गई है। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य प्रतीत होती है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी निवाई तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:36:38 IST
Reason: SelfAttested

(चिन्मयी गोपाल)
प्रथम अपील अधिकारी
एवं जिला कलेक्टर टोंक